

2021/450

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़ जिला-जोधपुर
प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021 कैम्प- सूरपुरा खुद
क्रमांक:- प्र.गां.के.सं.अ./2021/877 दिनांक:- 08/11/21

प्रेषित:- तहसीलदार भोपालगढ़
जिला जोधपुर

विषय:- DILRMP के तहत की गयी गलत तरमीम दुरुस्ती करने बाबत। (एलआर एक्ट की धारा 131.136 के तहत)

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम भुवारीया नाक पटवार हल्का सूरपुरा खुद
के खाता संख्या 30, 178 जिसके खसरा नं. 959, 958 रकबा 1.52/16
1.5282 किस्म वसती की तरमीम दुरुस्ती के तहत प्राप्त प्रार्थी के आवेदन पत्र,
पटवारी सूरपुरा खुद भू अभिलेख निरीक्षक पाल्सी राणावता की जांच रिपोर्ट एवं
तहसीलदार भोपालगढ़ की स्पष्ट अनुशंसा के आधार एवं राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार संलग्न नजरी नक्शा
अनुसार खसरा नक्शा भूमि में तरमीम दुरुस्ती की स्वीकृति दी जाती है एवं तहसीलदार भोपालगढ़ को
आदेशित किया जाता है कि तरमीम दुरुस्ती अनुसार नक्शों में इन्द्राज करे।

नोट:- पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा एवं तहसीलदार भोपालगढ़ की
अनुशंसा रिपोर्ट इस निर्णय का भाग रहेगा।

हवाई सिंह यादव
8/11/21

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर
प्रभारी अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़)
भोपालगढ़ (जोधपुर)
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

क्रमांक:- सम/ 878

दिनांक:- 08/11/21

प्रतिलिपि:-

1. प्रार्थी श्री भापक्य को सूचनार्थ।

हवाई सिंह यादव
8/11/21

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर
प्रभारी अधिकारी
एवं उपखण्ड अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ़)
भोपालगढ़ (जोधपुर)
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021



Received

Am. In
8/11/2021
O.K.